एच.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ब्लॉक नं. 16-17, एस.डी.ए. कमर्शियल कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171 009, हि0 प्र0
सी.आई.एन.: U99999HP1980SGC004263
जी.एस.टी.आई.एन.: 02AABCH4054K1ZV

दूरभाष नं.: 0177-2621583, 2621951, 2627951, 2621176, 2627017, 2620539
फैक्स नं.: 0177-2625537
ई-मेल: headoffice@himapurti.com,
वैबसाईट: www.himapurti.in

हि.प्र.रा.ना.आ.नि. / लेखा-(पेंशन केलकुलेशन) 15882-894 दिनांकः- 19.10.19

मण्डलीय प्रबन्धक,
हि.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित,
सोलन / धर्मशाला ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
हि.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित,
शिमला / सोलन / नाहन / मण्डी / हमीरपुर / धर्मशाला
एवं चम्बा ।

सहायक प्रापण अधिकारी,
हि.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित,
प्रापण कार्यालय, बरमाणा / दाड़लाघाट ।

विषयः- विकल्प फार्म भरकर भेजने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सेवानिवृत कर्मचारियों को पेन्शन देने का मामला लम्बे समय से निगम व सरकार के विचाराधीन है। समय-2 पर सेवानिवृत कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों एवं वर्तमान में अधिकृत संगठन के पदाधिकारी के साथ हुई बैठकों के दौर उपरान्त उपरोक्त विषय पर इस सुझाव पर सहमति बनी कि Pension Liability Fund की सही गणना तथा कितने अधिकारी / कर्मचारी पेन्शन लेना चाहते हैं, इसकी जानकारी हेतु निगम में वर्तमान में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी जो दिनांक 14.05.2003 से पहले निगम में नियुक्त / तैनात हुए हैं और सेवा निवृत हुए सभी कर्मचारियों से विकल्प फार्म भरवा कर लिया जाए जिसकी निर्देशों सहित प्रति विकल्प फार्म के साथ सभी की जानकारी हेतु संलग्न की जाती है।

अतः आपके कार्यालय के अधीनस्थ सेवारत/कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जो (दिनांक 14.05.2003 से पहले निगम में नियुक्त हुए हैं) तथा सेवा निवृत हुए सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को यह प्रति तथा विकल्प फार्म निर्देशों सहित पंजीकृत डाक अथवा स्वयं पावती करवा कर शीघ्र भिजवाने/उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी सेवा निवृत कर्मचारी/कार्यरत कर्मचारी पेन्शन के लाभ की गणना से बाहर न रह सके। सभी सेवानिवृत कर्मचारियों/कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को यह भी जानकारी दें कि इस विकल्प को देने की अवधि पत्र जारी होने के 60 दिन ही निर्धारित की गई है।

इसे अतिआवश्यक समझें ।

भवदीय,

डॉ.तनुजा जोशी,हि.प्र.प्र.से.
कार्यकारी निदेशक

संलग्नः– 1. निर्देशों की प्रति
2. विकल्प प्रपत्र

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष, एच.पी.स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, राज्य कर्मचारी संघ, हमीरपुर को सूचनार्थ प्रेषित है, उनसे अनुरोध है कि वे निगम के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उपरोक्त विषय पर जानकारी उपलब्ध करवायें तथा विकल्प फार्म की उपलब्धता मण्डलीय/क्षेत्रीय कार्यालय /मुख्यालय में करवाना सुनिश्चित करें ।
2. अध्यक्ष, हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सेवा निवृत कर्मचारी कल्याण संगठन, सोमा कुंज, शिवशक्ति गली, लोअर बरोल,दाड़ी,धर्मशाला, हि.प्र.–176057 को सूचनार्थ प्रेषित है, उनसे अनुरोध है कि वे निगम के सभी कर्मचारियों को उपरोक्त विषय पर जानकारी उपलब्ध करवायें तथा विकल्प फार्म की उपलब्धता मण्डलीय/क्षेत्रीय कार्यालय /मुख्यालय में करवाना सुनिश्चित करें

कार्यकारी निदेशक

"विकल्प देने हेतु निर्देश"

क) जो कर्मचारी/अधिकारी इस निगम के अन्तर्गत पेन्शन लेना चाहते हैं, उन्हें नियोक्ता अंश की राशि जिस दिन से वे निगम से सेवा निवृत हुए है से लेकर पेन्शन शुरू होने वाली तारीख तक नियोक्ता अंश पर 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज फण्ड में जमा करवाना होगा तभी वह कर्मचारी पेन्शन लेने का अधिकारी होगा ।

ख) यदि किसी सेवारत/सेवा निवृत कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी पत्नी को विकल्प देने का अधिकार होगा तथा उस स्थिति में उसकी पत्नी नियोक्ता राशि ब्याज सहित फण्ड में जमा करवायेगी ।

ग) यदि किसी कारणवंश दोनों की ही मृत्यु हो गई है तब उनके पात्र बच्चे विकल्प देने के अधिकारी होगें ।

घ) दिनांक 03.12.2004 को निगम में कार्यरत दैनिक भोगी/अनुबन्ध /नियमित कर्मचारी जोकि 14.05.2003 को तथा उससे पहले निगम में भर्ती है, वे विकल्प को देने के हकदार होगें ।

ड.) दिनांक 01.04.1999 से 02.12.2004 के बीच सेवा निवृत हुए कर्मचारी इस विकल्प को देने के पात्र नहीं होगें ।

च) विकल्प ऑनलाइन (online) भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं, तथा उस स्थिति में ऑनलाइन फार्म का प्रिंट लेकर हस्ताक्षरित करने उपरान्त सीधा निगम को भेजा जा सकता है।

छ) विकल्प मण्डलीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय व मुख्यालय से ऑनलाइन (online) के माध्यम से किया जा सकता है।

ज) सभी सेवा निवृत कर्मचारियों को विकल्प फार्म पंजीकृत करके भिजवाया जायेगा ?

झ) विकल्प देने की अवधि 60 दिनों यानि दो महीने की निर्धारित की जाएगी । यदि पत्र जारी होने के 60 दिनों के उपरान्त कोई भी विकल्प फार्म प्राप्त होता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

ण) विकल्प न देने की स्थिति में पेन्शन फण्ड के नियमानुसार EPF/CPF में माना जायेगा तथा इस पेन्शन के लिए हकदार नहीं होगा ।

OPTION FORM

H.P.STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION, LTD. SHIMLA-9

1) I_________________________Designation _______________Office/Branch/Area __________________________hereby opt for the H.P. State Civil Supplies Corporation, Ltd. Employee's Pension Scheme approved by State Cabinet vide letter NO. FDS-A(4)6/2004 dated 31.08.2007. I undertake to deposit /adjust employer share alongwith interest received /receivable on the date of superannuation plus 7% p.a. simple interest to the actual date deposit in the Pension Trust.

OR

2) I__________________________Designation_____________________ Office/Branch/Area ________________________hereby opt to continue under the existing CPF/EPF Scheme applicable to the employees of the H.P.State Civil Supplies Corporation Ltd. which was applicable before the introduction of Pension Scheme.

***Strike off whichever is not applicable**

Date:

Place:

Signature:

Name:

Address:

CPF/EPF No

Universal A/C No.(UAN)

Contact No. :